डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2001—आश्विन 13, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 390/2001/1/5/374.—छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा एक आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन, उसे ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए करता है, जिन्हें वह परिषद् के समक्ष रखे, तथा जिनका संबंध राज्य की आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों से हों, साथ ही, जो इस राज्य के संसाधनों की निरन्तरता और अधिकतम आर्थिक विकास करने के उद्देश्यों में तालमेल रखते हुए रणनीति बनाने पर केन्द्रित हों :—

(1)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(2)	मंत्री, वित्त विभाग	सदस्य
(3)	मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
(4)	मंत्री, कृषि विभाग	सदस्य
(5)	मंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण	सदस्य
(6)	सुश्री अमृता पटेल, चेयरमेन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद.	सदस्य

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

(7) श्रीमती ईशर जज अहलूवालिया, डायरेक्टर एवं चीफ इक्जिक्यूटिव, इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल ईकानामिक्स रिलेशन्स. — सदस्य
(8) श्री अशोक मिश्रा, संचालक, आई. आई. टी., मुम्बई. — सदस्य
(9) ओंमकार गोस्वामी, सी.आई.आई., नई दिल्ली. — सदस्य
(10) प्रोफेसर प्रभात पटनायक, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. — सदस्य
(11) श्री एम. वाई. खान, चेयरमेन, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्रीनगर. — सदस्य
(12) श्री अनिल अग्रवाल, संचालक, सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरमेंट, नई दिल्ली. — सदस्य
(13) श्री स्वामीनाथन एस. अय्यर, कन्सल्टिंग एडिटर, द एकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली. — विशेष आमंत्रित

1- श्री राकेश भान, मुख्य मंत्री जी के विकास सलाहकार, परिषद् के संयोजक रहेंगे.

2- परिषद् की बैठक राज्य में अथवा राज्य के बाहर होगी.

3- परिषद् की व्यवस्था संबंधी कार्य वित्त विभाग के द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 21st September 2001

No. 390/2001/1/5/374.—The Government of Chhattisgarh hereby constitutes an Economic Advisory Council, to tender advice to it in respect of any matter brought before the Council, relating to Economic and Environment Policies and Programmes and also in regard to strategies to achieve optimum level of Economic growth for the State consistent with the sustainability of available resources.

The Composition of the Economic Advisory Council will be as follows :—

(1)	Chief Minister	Chairperson
(2)	Finance Minister	Member
(3)	Minister for Commerce & Industires	Member
(4)	Minister for Agriculture	Member
(5)	Minister for Urban Affairs & Environment.	Member
(6)	Mrs. Amrita Patel, Chairperson, National Dairy Development Board, Anand.	Member
(7)	Mrs. Isher judge Ahluwalia, Director & Chief Executive ICRIER New Delhi.	Member
(8)	Shri Ashok Misra, I.I.T. Mumbai	Member
(9)	Shri Omkar Goswami, C.I.I. New Delhi.	Member
(10)	Prof. Prabhat Patnaik, Jawahar lal Nehru University, New Delhi.	Member
(11)	Shri M. Y. Khan, Chairman, Jammu & Kashmir Bank, Srinagar.	Member
(12)	Shri Anil Agrawal, Director, Centre for Science & Technology, New-Delhi.	Member
(13)	Shri Swaminathan S. Iyer	Special Invitee.

1- Shri Rakesh Bhan the Development Adviser to the Chief Minister will be the Convernor of the Council.

2. The meetings of the Council may be held in the State or outside the State.

3. The Management of the Affairs of the Council will be looked after by the Department of Finance, in the Government of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2001

क्रमांक डी. 2738/1264/आजाक/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/2000, दिनांक 16-1-2001 एवं क्रमांक डी 2128/2266/आजाक/2001, दिनांक 25-7-2001 तथा क्रमांक 2607/1262/व्हीआईपी/आजाक/2001, दिनांक 2-9-2001 के अनुक्रम में अनुमोदनानुसार निम्नांकित 5 सदस्यों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्र. (1)	नाम (2)	जाति (3)	पता (4)
1.	श्रीमती रामकली यादव अधिवक्ता.	यादव	बजरंग बली मंदिर के पास, पचरीपारा, दुर्ग, जिला, दुर्ग.
2.	श्री रिखीराम यादव पार्षद.	यादव	पार्षद, बसंतपुर, मोहल्ला राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री गिरधारी यादव	यादव	यादव फोटो फ्रेमिंग सेन्टर सुभाष चौक, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा.
4.	श्री शिवलाल यादव	यादव	यादव होटल, बाल्को बस स्टैण्ड, कोरबा, जिला-कोरबा.
5.	श्री सुभाष यादव	यादव	मु. पो. लेदरी कालरी, साऊथ झगराखण्ड कालरी (नई लेदरी) मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2001

क्रमांक 183/150/ऊर्जा/2001.—म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 1-11-2000 से छत्तीसगढ़ शासन अस्तित्व में आने के फलस्वरूप म. प्र. बुक आफ फाइनेंशियल पावर्स 1995 वाल्यूम भाग-1 के सरल क्र.-3 तथा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को कार्यालय प्रमुख घोषित करते हुए, आहरण एवं संवितरण के अधिकार प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक 2067/243/ऊर्जा/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शरतचन्द्र, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान करता है :—

1. संविदा नियुक्ति की अवधि में श्री शरतचन्द्र को म. प्र. शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/23/90/3/49 दिनांक 20 जुलाई, 1990 के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त सकल वेतन में से कुल पेंशन की राशि कम की जाकर एकजाई वेतन निर्धारण होगा.
2. एकजाई वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी.
3. एकजाई वेतन के अतिरिक्त उन्हें पेंशन तथा उस पर देय राहत विद्युत मंडल के नियमों के अनुसार पृथक् से प्राप्त करने की पात्रता होगी.
4. यात्रा भत्ता एवं अवकाश सुविधा की पात्रता होगी.
5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश की पात्रता होगी.
6. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.
7. संविदा नियुक्ति के दौरान श्री शरतचन्द्र पर म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 लागू होंगे.
8. श्री शरतचंद्र (टी. एण्ड डी.) सदस्य के साथ-साथ, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के भी प्रभार में आगामी आदेश तक रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2001

क्रमांक 188/243/ऊर्जा/2001.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2067-2068/243/ऊर्जा/2001, दिनांक 14-9-2001 के दूसरी पंक्ति में उल्लेखित "आगामी आदेश पर्यन्त" के स्थान पर "एक वर्ष के लिये" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का सं. 2) की धारा-11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अध्याय-3 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर विशेष स्थापना पुलिस अधिनियम, 1946 के अधीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संस्थित मामलों की जांच एवं विचारण के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी का विशेष न्यायालय स्थापित करती है.

Raipur, the 19th September 2001

No. D-2262/21-B/C.G.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act. No. 2 of 1974) the State Government hereby establishes a Special Court of Judicial Magistrate First Class at Raipur to enquires and try the cases instituted by C.B.I. under Delhi Special Police Establish Act, 1946 except those specified in Chapter 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 for the whole area of State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2001

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/सन् 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गंजाईपाली प. ह. नं. 28	1.478	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	साकासुन्दरी जलाशय के डूबान क्षेत्र का अतिरिक्त भू-अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 7310/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	आरला प. ह. नं. 31	3.56	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन के अंतर्गत उप नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/1अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	सियादेही प.ह.नं. 64/3	ख. नं. 84, 87, 81, 80 में से कुल रकबा 0.469.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड 90.	लहसुनवाही जलाशय के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/2अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	गट्टासिल्लीमा गुं. प.ह.नं. 85/6	ख. नं. 887, 888, 893, 894, 897, 898, 900, 845, 813 में से कुल रकबा 2.86.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड 90.	गोहाननाला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/3अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	जोराडबरी प.ह.नं. 86/7	ख.नं. 26, 40, 32, 24, 15, 17, 16, 20, 10, 09, 08, 07, 05, 39, 42, 44 में से कुल रकबा 7.05.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड 90.	गोहाननाला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/4अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	सरईटोला प.ह.नं. 86/7	ख.नं. 336, 332, 335, 330, 76, 333, 326, 77, 78, 45, 49, 50, 51, 324, 52, 38, 34, 14, 109, 111, 117/1, 8, 7, 6 में से रकबा 6.16.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड 90.	गोहाननाला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/5अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	भेलवाकुदा प.ह.नं. 11/35	ख.नं. 250 रकबा 0.07	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर.	धमतरी, पचपेड़ी, रानीतराई मार्ग पर खारून नदी के भेलवाकुदा घाट पर पुल निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/6अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	दूधवारा प.ह.नं. 47	ख. नं. 530, 544, 526, 545, 525, 519, 518, 514, 513, 508, 511, 504, 503, 501, 500, 472, 473, 459, 457 में से रकबा 0.96.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/7अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	गाड़ाडीह प.ह.नं. 47	ख.नं. 106, 55, 52, 51, 41, 42, 40, 44, 25, 45, 101, 102, 103, 107, 153, 152, 108,150, 148, 173, 141 में से रकबा 1.05.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 3 एवं 4 के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/8अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	अमलीडीह प.ह.नं. 47	ख. नं. 301, 299, 300, 298, 297/2, 297/1, 331, 742, 336, 337, 338, 344, 738, 736, 731, 730, 928, 929, 930, 933, 934, 1037, 1038, 1039 में से रकबा 0.99.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/9अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	कुल्हाड़ीकोट प.ह.नं. 48	ख. नं. 9, 11, 3, 12, 2 में से रकवा 0.26.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 1 के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/10अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरुद	आगाचानी प.ह.नं. 47	ख.नं. 209, 208, 205, 195, 194, 187, 193, 206, 186 में से रकबा 0.55 हेक्टेयर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर क्रमांक 04 के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	सिरपुर	1.706	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग, जगदलपुर.	जुगानी नाला के उच्च स्तरीय के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.